पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर में तम्बाकू–मुक्त कार्य–स्थल नीति

पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर अपने कार्मिकों के अच्छे स्वास्थ्य और गुणवत्ता पूर्ण जीवन के लिए सम्पूर्ण तम्बाकू मुक्त कार्यस्थल बनाना चाहती है। उद्‌देश्य– तम्बाकू से जुड़े हुये स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों को भली भांति जाना जा चुका है। स्वास्थ्य सम्बन्धी यह खतरे न सिर्फ तम्बाकू सेवी बल्कि अन्य व्यक्तियों को भी प्रतिकूलतः प्रभावित करते हैं जिसमें तम्बाकू सेवी द्वारा फैलाया गया धुंआ और चबाये हुये तम्बाकू के दुषप्रभाव शामिल हैं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर का ऐसा इरादा है कि यहां कार्यरत सभी कर्मचारियों और आगन्तुकों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाने में सहयोगपूर्ण वातावरण कार्यस्थल पर उपलब्ध कराया जाए।

सिद्वान्त– 1. यह नीति उन सभी कर्मचारियों, प्रशिक्षणार्थियों, ठेकेदारों, आगन्तुकों और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर प्रशिक्षण परिसर से सम्बद्ध व्यक्तियों पर लागू है जब तक कि वे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर प्रशिक्षण परिसर में मौजूद रहते है।

2. पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर में मौजूद सभी कर्मचारी, प्रशिक्षणार्थी, ठेकेदार और आगन्तुकों के लिए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर परिसर में कोई भी तम्बाकू उत्पाद लाना, रखना और इस्तेमाल करना निषिद्ध है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर का सम्पूर्ण क्षेत्र अब तम्बाकू मुक्त हैं जिसमें इसके सभी भवन, सभी सुविधा–क्षेत्र, खेल के मैदान और पार्किंग स्थल सहित आगन्तुक निजी वाहन और राजकीय वाहन भी शामिल हैं।

3. पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर में प्रत्येक आगन्तुक को निरपवाद रूप से इसकी तम्बाकू मुक्त स्थिति से अवगत कराया जाएगा। जो व्यक्ति तम्बाकू उत्पाद प्रयोग करते हैं उन्हें स्वयं के और सार्वजनिक हित के पक्ष में जानकारी देते हुये, कम से कम तब तक जब तक कि वे अकादमी परिसर में रहते हैं, तम्बाकू उत्पाद का उपभोग बन्द करने को कहा जाएगा।

4. यह नीति पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर परिसर अथवा अन्यत्र होने वाली बैठकों और सभी आयोजनों पर भी लागू होती है जिनमें सभी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद निषिद्ध होगा। ;यह निषेध सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, तम्बाकू युक्त पान और अन्य सभी तम्बाकू उत्पादों को सम्मिलित करते हुए लागू होगा।

6. तम्बाकू मुक्त कार्यस्थल नीति की निरपवाद रूप से पालना पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर में कार्यरत सभी कर्मचारियों, प्रशिक्षणार्थियों और आगन्तुकों के लिए अनिवार्य होगी। यहां उल्लिखित सभी के द्वारा इस नीति का उल्लंघन होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।